



इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान

रोहतास, पटना - 800 014

(बिहार सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

आईजीआईएमएस मेडिकल कॉलेज, आईजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज

फोन: 0612-2297631, 2297099; फैक्स: 0612-2297225, वेबसाइट: www.igims.org; ई-मेल: director@igims.org

विभिन्न विभागों के लिए संकाय पदों पर नियुक्ति

इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना के विभिन्न विभागों में निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर नियमित नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र. सं.	विभाग के नाम	पद	रिक्तियों की संख्या	रोस्टर स्थिति
विज्ञापन सं. 04 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
01	एनेस्थेसियोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	09	अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जाति-01, अर्थिक रूप से कमजोर-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 05 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
02	ब्लड बैंक	सहायक प्राध्यापक	02	अनारक्षित-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 06 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
03	रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपथोलॉजी	सहायक प्राध्यापक : ओपथोलॉजी	06	अनारक्षित-02, अनारक्षित(म)-01, पिछड़ा वर्ग-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01 (नोट: विभाग के लिए आरक्षित: 01 बैरिज आधार पर नेवहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
		सहायक प्राध्यापक : कर्माचार	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 07 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
04	कम्युनिटी मेडिसिन	शिक्षित पदाधिकारी सह सहायक प्राध्यापक	02	अनारक्षित-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 08 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
05	ईएनटी	सहायक प्राध्यापक	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 09 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
06	एफएमटी	सहायक प्राध्यापक	02	अनुसूचित जाति-01, अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 10 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
07	जनरल मेडिसिन *	सहायक प्राध्यापक	03	अनुसूचित जाति-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनारक्षित-01 (नोट: विभाग के लिए आरक्षित: 01 बैरिज आधार पर नेवहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 11 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
08	जनरल सर्जरी *	सहायक प्राध्यापक	05	अनुसूचित जाति-01, पिछड़ा वर्ग-01, अर्थिक रूप से कमजोर-01, अनारक्षित-02 (नोट: विभाग के लिए आरक्षित: 01 बैरिज आधार पर नेवहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 12 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
09	हेमेटोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	04	अनारक्षित-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01
विज्ञापन सं. 13 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
10	इमरजेंसी एवं ट्रेमा सेंटर	सहायक प्राध्यापक : लेब मेडिसिन	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 14 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
11	नाइक्रोबायोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	05	अनारक्षित-01, अर्थिक रूप से कमजोर-01, पिछड़ा वर्ग-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01
विज्ञापन सं. 15 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
12	आब्सटेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी	मातृत्व एवं बाल कल्याण अधिकांश सह सहायक प्राध्यापक	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 16 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
13	पेडियाट्रिक्स	सहायक प्राध्यापक	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 01
विज्ञापन सं. 17 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
14	पैथोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	07	अनारक्षित-02, अनारक्षित(म)-01, अर्थिक रूप से कमजोर-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-02 (नोट: विभाग के लिए आरक्षित: 01 बैरिज आधार पर नेवहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 18 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
15	पीएमआर	सहायक प्राध्यापक	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 19 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
16	प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी	सहायक प्राध्यापक	03	अनारक्षित-02, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 20 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
17	साइकियाट्री	सहायक प्राध्यापक	01	अनुसूचित जाति-01
विज्ञापन सं. 21 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
18	रेडियोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	10	अनारक्षित-02, अनारक्षित(म)-01, अर्थिक रूप से कमजोर-01, पिछड़ा वर्ग-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01, अनुसूचित जाति-01 (बैरिज) (नोट: विभाग के लिए आरक्षित: 01 बैरिज आधार पर नेवहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 22 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
19	रेडिएशन ऑन्कोलॉजी	सहायक प्राध्यापक	04	अनारक्षित-02, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01 (नोट: विभाग के लिए आरक्षित: 01 बैरिज आधार पर नेवहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 23 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
20	स्किन एंड वी.डी.	सहायक प्राध्यापक	01	अनुसूचित जाति-01

नोट : * एनेस्थेसियोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 09 पदों में से आरआईओ के लिए 02 पद एवं एससीआई के लिए 03 पद।
* जनरल मेडिसिन के सहायक प्राध्यापक के 03 पदों में से 01 पद ईएनटी के लिए।
* जनरल सर्जरी के सहायक प्राध्यापक के 05 पदों में से 04 पद ईएनटी के लिए।
* हेमेटोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 04 पदों में से 04 पद एससीआई के लिए।
* नाइक्रोबायोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 05 पदों में से 03 पद एससीआई के लिए।
* पैथोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 07 पदों में से आरआईओ के लिए 01 पद एवं एससीआई के लिए 06 पद।

* रेडियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर के 10 पदों में से

ईएनटी के लिए 02 पद, एससीआई के लिए 01 पद एवं आरआईओ के लिए 01 पद। उपरोक्त रिक्तियाँ अंतिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है। निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना को बिहार सरकार के नियमों/परिपत्रों और आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार है।

वैतनमान :

01 सहायक प्राध्यापक	लेवल 12 (रु. 101500) + एनपीए एवं अन्य भत्ते (केवल मेडिकल योग्य उम्मीदवारों के लिए एनपीए)
---------------------	--

ऊपरी आयु सीमा : संकाय पदों के लिए आवेदन जमा की अंतिम तिथि को 60 वर्ष।

राज्य सरकार के नियमानुसार नियमित नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 05 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए 03 वर्ष और सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष।

❖ महिला उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में (जहां लागू हो) संबंधित विभाग के लिए उरुी श्रेणी के प्रमुख उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है।

❖ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में (जहां लागू हो) संबंधित विभाग के लिए अनारक्षित उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है।

सहायक प्रोफेसर के विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विभाग के नाम	पद के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव
01	एनेस्थेसियोलॉजी	आवश्यक योग्यताएं :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी एनेस्थेसियोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। अनुभव :- एनेस्थेसियोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
02	ब्लड बैंक	आवश्यक योग्यताएं :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ब्लड बैंकिंग में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। अनुभव :- ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ब्लड बैंकिंग में एमडी की योग्यता डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, फ्रैक्शनेशन तकनीक एवं रक्त आधान के नैदानिक पहलुओं में विशेष प्रशिक्षण के साथ ब्लड बैंक में तीन साल का शिक्षण और/या अनुसंधान अनुभव।
03	रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपथोलॉजी	आवश्यक योग्यताएं :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी ओपथोलॉजी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। अनुभव :- ओपथोलॉजी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
04	कम्युनिटी मेडिसिन	आवश्यक योग्यताएं :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। अनुभव :- कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
05	ईएनटी	आवश्यक योग्यताएं :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी ईएनटी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। अनुभव :- ईएनटी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
06	एफएमटी	आवश्यक योग्यताएं :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी एफएमटी मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता।

(शेष पृष्ठ 15 पर)

[illegible]

नोट : डीएनबी समकक्षता :- जो लोग योग्यता शिक्षा के रूप में व्यापक विशेषज्ञता या सुपर स्पेशियलिटी में डीएनबी रखते हैं, उन्हें एमसीआई, नई दिल्ली अधिसूचना दिनांक 31.10.2018 के अनुसार एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच के साथ डीएनबी समकक्षता के बारे में सक्षम/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जिन लोगों ने उपरोक्त एमसीआई अधिसूचना के पैरा 2 (ए) और (बी) के तहत दिए गए संस्थान से डीएनबी प्रशिक्षण लिया है - उन्हें योग्यता डिग्री के बाद अतिरिक्त अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी। जिन लोगों ने उपरोक्त एमसीआई अधिसूचना के (सी) और (डी) में दिए गए संस्थान में डीएनबी प्रशिक्षण लिया है, उन्हें समकक्षता के लिए एमसीआई से मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त संस्थान से क्रमशः 1 वर्ष एवं 2 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव यानी कुल 4 एवं 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अनुभव : अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को अपेक्षित दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कूरियर द्वारा केवल इस पते पर जमा करें : निदेशक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना - 800014

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) अनारक्षित (गुआर) पिछड़ी जाति (बीसी), अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिला पिछड़ी जाति (डब्ल्यूबीसी)

सामान्य निर्देश

1. आवेदन पत्र संस्थान की वेबसाइट <http://www.igims.org> से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आवेदन की शुल्क: आवेदन पत्र की शुल्क (गैर-वापसी योग्य) रु. 1000/- एक हजार (रु. 250/- दो सौ पचास: अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए) है। सभी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र अपेक्षित आवेदन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) के साथ निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना-14 के पक्ष में पटना में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ होना चाहिए। आवेदन की शुल्क के साथ आवेदन न करने वाले आवेदन/आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. कार्यरत उम्मीदवार हेतु चयन और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद, योगदान करने से पहले पिछले नियोक्ता से त्यागपत्र के बाद डिस्चार्ज/विरामित प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
4. वेतन के अलावा, एनपीए (केवल मेडिकल उम्मीदवार के लिए) और अन्य भत्ते नियमित नियुक्ति के लिए नियमानुसार स्वीकार्य होंगे।
5. ये पद गैर-अभ्यास वाले हैं और प्रयोगशाला अभ्यास सहित किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निजी अभ्यास सख्त वर्जित है। यदि ऐसे अभ्यासों में लिप्त पाया जाता है, तो उम्मीदवार की नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
6. परिसर में रहना अनिवार्य है, यदि आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय होगा।
7. आरक्षण बिंदु और ऊपरी आयु सीमा में छूट बिहार सरकार के नियमानुसार लागू होगी। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार को ही मिलेगा और बिहार राज्य के बाहर के आवेदक आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण और छूट का लाभ दिया जाएगा। सरकारी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
1. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण बिहार सरकार के नियमों के अनुसार है।
2. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए: उम्मीदवारों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पदों के लिए वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है (फॉर्म-एक्स)।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र 01-04-2024 के बाद साक्षात्कार की तिथि तक जारी किया जाना चाहिए।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं PWD के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
8. आरक्षण नियम के संबंध में जो भी मामला उल्लेखित नहीं है या स्पष्ट नहीं है, उस पर आरक्षण नियम, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।
9. नियोजित उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना है। अग्रिम आवेदन के मामले में साक्षात्कार के समय "अनापत्ति प्रमाण पत्र" अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए समय का विस्तार नहीं दिया जाएगा।
10. प्रोफार्मा के अनुसार पूर्ण जानकारी का अभाव, अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान न करना तथा आवेदन जमा करने के पश्चात प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां जमा न करने पर आवेदन को बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपना सही तथा सक्रिय ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. भरें एवं संस्थान की वेबसाइट को अक्सर देखते रहें, क्योंकि संस्थान द्वारा सभी पत्राचार ई-मेल/वेबसाइट के माध्यम से किए जाएंगे।
12. अनुभव प्रमाण पत्र दावा किए गए संपूर्ण अनुभव के लिए संगठन/विभाग के प्रमुख से होना चाहिए, जिसमें अनुभव की अवधि ('से' - 'तक'), अनुभव की प्रकृति (शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान) आदि स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हों।
13. अभ्यर्थी को केवल उन शिक्षण अनुभवों का उल्लेख करना चाहिए जो एमसीआई/एनएमसी/डीसीआई/आईएनसी/राज्य नर्सिंग परिषद/आईआरबी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त हों, जहां भी लागू हो तथा आवेदन किए गए पद के लिए अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किए गए हों।
14. आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुसंधान अनुभव परियोजना, संबंधित विषय में अनुक्रमित प्रकाशन (पब मेड पब्लिकेशन को प्राथमिकता दी जायेगी), अनुसंधान पेटेंट, पुस्तक अध्याय और सह-मार्गदर्शक की क्षमता में एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम.सीएच/पीएच.डी. छात्रों को मार्गदर्शन दिया हुआ प्रमाणित होना चाहिए।
15. नियमित नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए परीक्षा पर रखा जाएगा। परीक्षा के दौरान, यदि उम्मीदवार का प्रदर्शन और आचरण संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उम्मीदवार के खिलाफ कदाचार/दुर्यवहार सहित गंभीर प्रकृति का कोई आरोप है और ये सच पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जाएंगी। परीक्षा की अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर सेवाओं की पुष्टि की जाएगी।
16. सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों/प्रशंसापत्रों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी तथा हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो तथा अपेक्षित शुल्क के साथ निदेशक, आईजीआईएमएस, शेखपुरा, पटना-14 (बिहार) को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा अवश्य पहुंचना चाहिए।
17. "संस्थान डाक विभाग या कूरियर एजेंसी द्वारा की गई किसी चूक या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा"। अपूर्ण आवेदन पत्र तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
18. साक्षात्कार में भाग लेने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।
19. अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखना होगा।
20. संस्थान के निदेशक को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार/स्वीकार करने या इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
21. टाइपिंग त्रुटि सुधार योग्य है।
22. किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
23. आवश्यकतानुसार पदों/रिक्तियों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।
24. किसी भी रूप में सिफारिश करना अयोग्यता होगी।

नोट :- हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ्य में विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

Memo No.:- Advt./04/2025/629/Adm Dated - 20.02.2025

EN 52/52

ह/.

निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना-14